न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 121/2016

1. सहीराम पुत्र श्री हीराराम जाति कुम्हार आयु 75 साल निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. भारत सरकार द्वार सचिव ट्रान्सपोर्ट एवम् हाईवे मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग रा.उ.मा. खण्ड बीकानेर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता — वादी
2. श्री राजकिय अधिवक्ता भारत सरकार — प्रतिवादीगण

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 10-10-16

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी के नाम से चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 119/97 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 11/.253, 19/2 की .126, 20/.253, 21/.253, 22/.253, 25/.164 इस प्रकार कुल 1.227 हैक्टर भूमि दर्ज कागजात माल है।

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा नेशनल हाईवे सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण प्रयोजनार्थ अवाप्त की जाकर करवाया जा रहा है। इस क्रम में नेशनल हाईवे नम्बर 62 का निर्माण के तहत चक 15 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 5, 6, 7, 8, 13 व 16 में से सड़क हेतु भूमि अवाप्त की गई है, जिसमें वादी के मुरब्बा नम्बर 13/1 के किला न म्बर 25 में से 0.113 हैक्टर रकबा अवाप्त किया गया है। और इसी अनुसार अवाप्त शुद्धा भूमि पर सड़क का नक्शा पास कर सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा आदेश प्रदान किये गये है।

इसी मुरब्बा नम्बर 13/1 के किला नम्बर 24 का रकबा किसी अन्य काश्तकार है, जिसको फायदा पहुचानें व उसके रकबा को अवाप्त भूमि से बचानें के लिये प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित नक्शा से हटकर सड़क का निर्माण जानबुझकर वादी को नुकसान पहुचानें की गर्ज से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 5 पर से सड़क को मोड़ देकर प्रार्थी/वादी की 9 बिस्वा अवाप्त शुद्धा से अधिक भूमि को अपनें कब्जा में लेकर प्रार्थी से जानबुझकर अनाधिकृत रूप से बेदखल कर रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को भारत सरकार द्वारा अवाप्त की गई भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा करनें व वादी को उसके स्वामित्व की भूमि से बेदखल का कोई अधिकार नहीं है।

वादी द्वारा पूर्व में इस सम्बंध में शिकायत करनें पर प्रतिवादी संख्या 2 नें सड़क का निर्माण रोक दिया व अब पुनः इसी स्थान पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को स्वीकृत नक्शा के अनुसार अवाप्त शुद्धा भूमि पर ही सड़क का निर्माण सैन्टर लाईन से दोनों तरफ भूमि पर किया जाना है।

उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 जानबुझकर वादी को नुकसान पहुचानें के लिये वादी के स्वामित्व की भूमि पर नक्शा के विपरित सड़क का निर्माण करनें पर आमदा है, जिस पर वादी नें प्रतिवादी संख्या 2 से मिलकर स्वीकृत नक्शा के अनुसार अवाप्त शुद्धा भूमि का लेनें के लिये व उसी पर ही सड़क निर्माण सेन्टर लाईन से दोनों तरफ करनें के लिये कहा तो प्रतिवादी नें दिनांक 28.06.2016 को यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि सड़क का निर्माण करना मेरे पर निर्भर है, मै जहां चाहूं वहां सड़क का निर्माण करूं और आपकी भूमि सड़क में ही खुर्द–बुर्द कर दूगां।

वादी उक्त आराजी मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 25 की 0.164 हैक्टर रकबा का खातेदार मालिक है, जिसमें से प्रतिवादी द्वारा 0.113 हैक्टर रकबा ही सड़क हेतु अवाप्त किया गया है। जिसमें वादी को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु रकबा के अलावा शेष रकबा जो 0.051 हैक्टर वादी का है उक्त रकबा पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज है। और मौके पर अपनी फसल काश्त कर रखी है। उक्त रकबा प्रस्तावित सड़क की पूर्व दिशा में शेष है, जिस पर वादी की मौका पर फसल काश्त की हुई है।

वादी शेष रकबा 0.051 हैक्टर का खातेदार एवम् वास्तविक स्वामी है। तथा उक्त रकबा को अपनें कब्जा में बनाये रखनें का अधिकारी है। क्योंकि कानून भी वादी को अपनी खातेदारी रकबा से किसी व्यक्ति को बेदखल करनें का अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि प्रतिवादी द्वेष भावना पूर्वक वादी के स्वामित्व की भूमि से बेदखल करनें में तथा सड़क का निर्माण प्रस्तावित नक्शा के विपरित जाकर करनें में कामयाब हो गया तो वादी को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा। अतः वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 119/97 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 25/1 की 0.164 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सड़क हेतु अवाप्त भूमि 0.113 हैक्टर जो अवाप्त की गई है, पर ही सड़क का निर्माण नक्शा अनुसार सैन्टर लाईन के दोनो तरफ से करें तथा वादी की इस किला में शेष भूमि 0.051 हैक्टर जो सड़क की पूर्व दिशा में में स्थित है में वादी के कब्जा काश्त में मुदाखलत बेजा करनें व वादी के स्वामित्व की भूमि से उसे जबरन बेदखल करनें से बाबज व ममनु रहे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 11.08.2016 को प्रतिवादीगण की और से श्री राजीव भार्गव सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राउमा उपखण्ड प्रथम बीकानेर उपस्थित हुए और निवेदन किया कि अभी तक राजकीय अधिवक्ता नियुक्त नहीं हुए है। तथा अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राउमा वृत बीकानेर का पत्र क्रमांक 833 दिनांक 25.07.2016 तथा 943 दिनांक 09.08.2016 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 24.08.2016 को वकील वादी द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 के पत्रांक 943 दिनांक 09.08.2016 को जबाब माननें हेतु आग्रह किया गया। दिनांक 943 दिनांक 09.08.2016 के अन्तर्गत कथन किया गया है, कि चक 15 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 25 में 7 बिस्वा भूमि पूर्व में सड़क में अवाप्त है व अब 9 बिस्वा भूमि और भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के तहत ही अवाप्त की जा रही है। व शेष 4 बिस्वा भूमि काश्तकार स्वयं के पास रहेगी जिसमें किसी भी प्रकार से निर्माण व अवाप्ति नहीं होगी। सड़क का निर्माण स्वीकृत नक्शा के अनुसार ही करवाया जावेगा। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनदेखी या नक्शे से बाहर जाकर निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है। सड़क निर्माण के पश्चात प्रार्थी की मांग के अनुसार 4 बिस्वा भूमि मौके पर सड़क के ROW के बाहर रहेगी। प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 25 में शेष रही 4 बिस्वा भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के निर्माण के वक्त प्रार्थी के रकबे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

लगातार 3

प्रार्थी के चक 15 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 25 में मौके पर सड़क निर्माण का कोई भी कार्य नहीं किया गया है, न ही किया जा रहा है, व न ही किया जावेगा। प्रार्थी का रकबा अवाप्त से रहित भूमि 0.052 हैक्टर जो कि सड़के के पूर्व में स्थित है, सड़क निर्माण सीमा से बाहर रहेगा। नई सड़क का निर्माण कार्य पुरानी सड़क सीमा के अन्तर्गत ही किया गया है जिससे कि प्रार्थी का अवाप्त रहित रकबा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है। इस रकबे पर प्रार्थी का ही स्वामित्व रहेगा।

दिनांक 26.09.2016 को राजकिय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जबाब को ही प्रतिवादी संख्या 1 का जबाब माना जावे। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जाकर विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई दौरानें बहस कथन किया कि वाद पत्र एवम् जबाब वाद पत्र के कथनों को ही दोहराते हुए निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस तथा पत्रावली के विवेचन किया गया प्रथमतयाः वाद वादी के पक्ष में होनें के कारण वादी वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 25 का अवाप्ति से शेष 0.051 हैक्टर रकबा जो वादी का वादी खातेदार एवम् वास्तविक स्वामी है। तथा उक्त रकबा को अपनें कब्जा में बनाये रखनें का अधिकारी है। में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा सड़क हेतु अवाप्त भूमि 0.113 हैक्टर जो अवाप्त की गई है, पर ही सड़क का निर्माण करें तथा वादी की इस किला में शेष भूमि 0.051 हैक्टर जो सड़क की पूर्व दिशा में में स्थित है में वादी के कब्जा काश्त में मुदाखलत बेजा करनें व वादी के स्वामित्व की भूमि से उसे जबरन बेदखल करनें से बाज व ममनु रहे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 10-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर